झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–716 वर्ष 2017

जसवंत गंजू ..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड अपने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, दरभंगा हाउस, रांची, डाकघर–रांची, थाना–कोतवाली, जिला–रांची के माध्यम से।
2. निदेशक कार्मिक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची, डाकघर–रांची, थाना–कोतवाली, जिला–रांची।
3. मुख्य महाप्रबंधक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बी0 एंड के0 क्षेत्र, करखाली, डाकघर–बेरमो, थाना–बेरमो, जिला–बोकारो।
4. परियोजना अधिकारी, करखाली वाशरी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर एवं थाना–बेरमो, जिला–बोकारो।
5. वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक, करखाली वाशरी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर एवं थाना–बेरमो, जिला–बोकारो।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री राजेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री मोहन कुमार दुबे, अधिवक्ता

04 / 07.11.2019 याचिकाकर्ता ने अनुकम्पा के आधार पर अपनी नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु प्रतिवादी–सी0सी0एल0 को निर्देश देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा

खटखटाया है। श्री मोहन कुमार दुबे द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी–सी0सी0एल0 द्वारा दिए गए कारणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि तत्काल मामले में अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

हालांकि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उचित ही प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि अनुकम्पा नियुक्ति का दावा करने में घोर देरी है, लेकिन यह मामले की अस्वीकृति के लिए एक आधार नहीं हो सकता है।

. दिनांक 29.05.2004 के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उत्तरदाता एक विशिष्ट रूख के साथ आए थे कि सेवा के अंशों और रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या मृतक कर्मचारी की पत्नी और पुत्र वास्तविक दावेदार हैं या क्या उनका दावा धोखाधड़ी है क्योंकि तथ्य पर एक विवादित प्रश्न है। प्रमाण पत्र स्वयं विवादित हैं क्योंकि उक्त प्रमाण पत्रों के आधार पर विभिन्न दावे किए गए हैं।

यह न्यायालय तथ्यों के विवादित प्रश्न में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता अपनी शिकायत के निवारण के लिए सक्षम मंच से संपर्क कर सकता है।

तद्नुसार, इस रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है।

((डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0)